न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या — 14/2013

अपीलांट्स–	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स–
1.अमीया पुत्री डायाजी,जाति मेघवाल, निवासी मेडा उपरला हाल–कुआडा, तहसील आहोर,जिला जालार 2.पांची पुत्री डायाजी, जाति मेघवाल,निवासी मेडा उपरला हाल–बुडतरा, तहसील आहोर, जिला जालोर		1.कुयाराम पुत्र उकाजी, जाति मेघवाल, निवासी मेडा उपरला, तहसील व जिला जालोर (फौत)के कायम मुकामः– 1/1.तोलकी पत्नि स्व. कुयाराम 1/2.रेखा पुत्री स्व.कुयाराम (नाबालिग)जरिये कुदरती वलीया माता तोलकी पत्नि स्व. कुयाराम , जाति मेघवाल,निवासी हाल–पांडगरा,तहसील आहोर, जिला जालोर 2.तहसीलदार जालोर 3.ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल, जाति मेघवंशी, निवासी सूरजपोल के बाहर,भीनमाल रोड,शान्तिनगर, जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार जालोर दिनांक 1.9.1971 (ना.क.सं. 218)

उपस्थिति :–
1.श्री नवीनकुमार गहलोत,अभिभाषक,अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री नैनसिंह राजपुरोहित व श्री गोविन्दकुमार ,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1/1व 1/2 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से।
4.श्री भंवरलाल सोलंकी व श्री रमेशकुमार सोलंकी,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.8.2019

1. यह अपील माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के प्रकरण सं. निगरानी /एल.आर./639/2016/जालोर,ओमप्रकाश बनाम अमीया,वगैराह, निर्णय दिनांक 17.5.2018 से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई कि धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थनापत्र को नये सिरे से निर्णित किया जावे, नियमित वाद के जैरकार रहते क्या इन्तकाल जैसे संक्षिप्त कार्यवाही रोक दी जानी चाहिये अथवा नही, तथा वर्तताान प्रार्थी को रेस्पोडेन्ट सं.3 बनाया जाकर ,जवाब, दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

2. अपीलांट्स के अनुसार अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा मेडा उपरला, तहसील जालोर के कृषि आराजी पुराने पुश्तैनी नम्बर 64 व 64मी. रकबा 79 बीघा 6 बिस्वा व वर्तमान खसरा नम्बर 2274/532 व खसरा नम्बर 533 रकबा 4.18 हेक्टर जिनके खातेदार डाया पुत्र कोना जाति मेघवाल निवासी मेडाउपरला थे । डाया की मत्यु के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा विरासत नामान्तरकरण में डाया के चार वारिसान–अमीया, पांची(पुत्रिया), उका व देवा(पुत्र) जीवित होते हुए भी केवल दोनो पुत्रो उका व देवा का नाम भरा गया। स्व. डाया पुत्र कोना के चार उत्तराधिकारी जीवित होते हुए भी केवल उका व देवा केनाम म्युटेशन स्वीकृत करने पर यह अपील प्रस्तुत की है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार एक हिन्दू मृतक की सम्पति में उनके प्रथम श्रेणी के वारिशानो को मिलेगी तथा उत्तराधिकारियों को अधिनियम की धारा 10 के नियम 2 के अनुसार स्व. डाया के उत्तराधिकारी क्रमशः पुत्रीया– अमीया, पांची, पुत्र–उका व देवा के नाम डाया के उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया जाना था। अपीलाधीन म्युटेशन हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनिमय के कानून के विपरीत होने से म्युटेशन काबिल खारिज है। डाया की मृत्यु के पश्चात् उनके दो पुत्र–उका व देवा का ही नाम उनके उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया गया। उका की मृत्यु के पश्चात् फौतेगी म्युटेशन सं. 251 में उका के पुत्र कुयाराम व उका की पत्नि श्रीमति ओबु के नाम दर्ज किया गया तथा देवा मानसिक बिमार होने से लापता हो गया तथा म्युटेशन सं. 628 दिनांक 28.11.2010 को देवा के बजाय कुयाराम पुत्र उकाजी के नाम दर्ज किया गया। अवैध कार्यवाही के अनुसरण में आगे की कार्यवाही भी अवैध होती है। गत खसरा नम्बर 64 व64 मी. रकबा 79 बीघा 6 बिस्वा के नवीन सैटलमेन्ट में बने नये खसरा नम्बर 2274/532 व 533रकबा 4.18 हेक्टर बनाये गये,वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं.1 का नाम दर्ज है, रेस्पोडेन्ट सं.2 ने उक्त आराजी का हिस्सा जरिये रजिस्ट्री बैचान कर दिया। अपीलांट्स अनपढ होने से व शादी के बाद अधिकांश समय अपने गांव कुआडा, बुडतरा में रहने के कारण उसे उक्त अवैध म्युटेशन की जानकारी पूर्व में नही हो सकी। अपीलांट्स स्व. डाया पुत्र कोना की जायन्दा पुत्रियां होने के कारण व आराजी पर संयुक्त कब्जा होने के कारण उसे

उक्त अवैध म्युटेशन का पता नही चल सका। अभी रेस्पोडेन्ट सं.1 द्वारा यह कहने कि इस जमीन पर अपीलांट्स का हक नही है तब अपीलांट्स ने रेकर्ड का पता लगाकर नकलो हेतु दिनांक 7.2.2013 को आवेदन किया जो दिनांक 8.2.2013 को प्राप्त हुई जिससे अपीलांट्स को जानकारी हुई। अतः अपील जानकारी से अन्दर म्याद है। कानून के अनुसार अवैध कार्यवाही को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अतः मौजा मेडा उपरला के म्युटेशन सं.218 दिनांक 1.9.1971 को निरस्त कर स्व. डाया पुत्र कोना के उत्तराधिकारियों के नाम व अपीलांट्स के नाम दर्ज करवाने का आदेश फरमावे। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं.218 की प्रमाणित प्रति पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्टगण को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया। बाद सुनवाई के निर्णय दिनांक 1.5.2013 द्वारा प्रकरण तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड किया गया, जिसके विरूद्ध अपील श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ,जोधपुर में अपील पेश करने पर राजस्व अपील सं.95/2013,ओम प्रकाश बनाम अमीया,वगैराह में निर्णय दिनांक 18.12.2015 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस प्रकार संशोधन किया कि तहसीलदार जालोर स्वर्गीय डया पुत्र कोना के वारिसान् की जांच करने के साथ–साथ अपीलांट ओमप्रकाश पुत्र सोहनदास,मेघवंशी को भी पूर्ण सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के उपरान्त नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश करने पर निर्णय दिनांक 17.5.2018 द्वारा तीन बिन्दुओ को मध्येनजर रखते हुए अपील नये सिरे से निर्णित करे। इस पर अपील पुनःदर्ज की गई व रेस्पोडेन्ट्स तथा रिकार्ड को तलब किया गया।

3. अपीलांट्स द्वारा दिनांक 12.11.2018को एक प्रार्थनापत्र बाबत् रेस्पोडेन्ट कुईयाराम पुत्र डायाजी का नाम संशोधित कर कुईयाराम पुत्र उकाजी करने व रिमाण्ड बिन्दुओं के सबंध में जवाब पेश किया। बाद सुनवाई के दिनांक 5.72019 को कुईयाराम पुत्र डायाजी के स्थान पर कुयाराम पुत्र उकाजी किया गया।

4. अपीलांट्स ने दिनांक 30.11.2018को एक प्रार्थनापत्र बाबत् वादग्रस्त आराजी में अवैध रूप से ट्यूबवैल खोदने से रोकने बाबत् पेश किया,जो बाद सुनवाई के तहसीलदार जालोर को जांच व विधिवत् कार्यवाही हेतु भिजवाने का आदेश पारित किया। उक्त प्रार्थनापत्र की प्रति कमांक 630 दिनांक 5.7.2019से तहसीलदार जालोर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा।

5. अपीलांट्स द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में बताया कि प्रार्थीगण के पिता डया पुत्रकोना की मृत्यु पर नायब तहसीलदार जालोर द्वारा म्युटेशन सं. 218दिनांक 1.9.1971 स्वीकृत किया गया है ,उक्त म्युटेशन

स्वीकृत करने से पूर्व स्व. डाया के उत्तराधिकारी अपीलांट होने के बावजूद भी उसे सुनवाई हेतु नोटिस नही दिया एवं न ही म्युटेशन स्वीकृत होने के बाद अपीलांट को कोई सूचना दी। अपीलांट अनपढ है, अपीलांट को रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा यह कहने पर कि इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नही है, तब अपीलांट ने रैकार्ड का पता लगाकर नकले हेतु दिनांक7.2.2013 को आवेदन किया नकले दिनांक 8.2.2013 को प्राप्त हुई जिससे म्युटेशन से सबंधित कार्यवाही की जानकारी हुई, जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्याद है अतः देरी को कन्डोन कर अपील अन्दर म्याद शुमार करावे।

6. रेस्पोडेन्ट सं.3 की ओर से अपीलांट्स के धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र का जवाब मय शपथपत्र दिनांक 30.11.2018 को पेश किया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित कुईयाराम पुत्र उकाजी के दादा–डाया पुत्र कोनाजी जाति मेघवाल, निवासी मेडा उपरला की मृत्यु के पश्चात् विरासतन म्युटेशन सं.218 मृतक डाया के दो पुत्र–उका व देवा के नाम से दिनांक 8.9.1971को स्वीकृत किया गया है जिसकी सूचना मजबेआम व हर खास को दी गई,उस समय किसी ने कोई ऐतराज नही किया। अपीलांट्स द्वारा डायाजी की पुत्री होने का किसी प्रकार का उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र या ऐसा कोई सबूत पेश नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलांट्स , डाया पुत्र कोनाजी की पुत्री है। अपीलांट्स स्वयं ने नामान्तरकरण सं. 218 जो दिनांक 1.9.1971 को पारित होना उल्लेख किया है जबकि यह म्युटेशन दिनांक 8.9.1971को पारित किया गया है।

नामान्तरकरण सं.218 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा दिनांक 7.3.2013 को लगभग 42 वर्ष के पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है। 42वर्ष की अवधि में म्युटेशन सं.218 दिनांक 8.9.1971 के पश्चात् उका पुत्र डाया की मृत्यु के पश्चात् उका के पुत्र कुईयाराम ,पत्नि ओबु का नाम नामान्तरकरण सं.215 दर्ज किया गया तथा ओबू की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण सं.499 दिनांक 13.6.2007के तहत् कुईयाराम पुत्र उका,देवा पुत्र डाया का दर्ज किया गया। नामान्तरकरण सं. 501 दिनांक 27.9.2007 बैचान 1/2हिस्सा कुईयाराम पुत्र उकाजी द्वारा बैचान करने पर ओमप्रकाश पुत्र सोहनराजजी,जाति मेघवाल,निवासी जालोर दर्ज किया गया। देवा पुत्र डाया के 1/2 हिस्से का दावा सं. 58/2007 स्वीकार किया जाकर देवाराम पुत्र डाया की सम्पूर्ण आराजी में कुईयाराम पुत्रउका नामान्तरकरण सं. 628 दिनांक 18.11.2010 स्वीकृत किया गया, इसी वाद में विवादग्रस्त आराजी बाबत् अखबारी छाया दैनिक भास्कर दिनांक 31.10.2007 हर आम व खास में भी प्रकाशित हुआ था, तब भी अपीलांट्स ने उजरदारी नही की थी।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में देवा पुत्र डाया के हिस्से की भूमि प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 5.3.2013को 0.48 हेक्टर भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट सं.3 के पक्ष

में कुईयाराम पुत्र उकाजी के निवास मेडाउपरला में दस्तावेज निष्पादित किया गया क्योंकि कुईयाराम बिनाम होने से चल फिरने में असमर्थ था। रेस्पोडेन्ट सं.3 ने आराजी खरीद के बाद उसमें ट्यूबवैल खुदवाया,कृषि विद्युत कनेक्शन लिया,तारबन्दी करवाई,पानी का टांका,अन्दर रहवास हेतु मकान बनाया व वृक्ष लगवाये जिसकी जानकारी अपीलांट्स को नहीं हुई हो ,ऐसा सम्भव नही है।

अपीलांट्स ने अपील में जानकारी दिनांक 7.2.2013को होना बताया,नकलो हेतु आवेदन करने पर नकले दिनांक 8.2.13 को प्राप्त करना बताया तथा अपील दिनांक 7.3.2013 को प्रस्तुत करना बताया यानि 29 दिन तक जानकारी होने के बावजूद अपील देरी से पेश की गई है ,दिन प्रतिदिन की कोई वजह नही बताई है। अपीलांट्स ने यह भी नहीं बताया कि अपीलांट्स को इससे पहले किस वजह से जानकारी नहीं हो सकी थी। अतः अपील अपीलांट्स म्याद बाहर होने से खारिज करावे।

अपीलांट्स द्वारा राजस्व वाद में सहायक कलेक्टर जालोर में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें वाद का कारण दिनांक 11.6.2014को होना बताया जबकि अपील में जानकारी दिनांक 7.2.2013को होना बताया है,दोनो में जानकारी की तारीख विरोधाभासी हैं। अतः अपीलांट्स का धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

7. रेस्पोडेन्ट सं.1/1व 1/2 की ओर से अपीलांट्स के धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र का जवाब मय शपथपत्र दिनांक 14.3.2019 को पेश किया कि मृतक डया के दो पुत्र–उका व देवा के नाम से म्युटेशन सं. 218 दिनांक 8.9. 1971 स्वीकृत की सूचना मजबेआम व हर खास को दी गई है, उस समय किसी ने एतराज नही किया। अपीलांट्स ने डाया की पुत्री होने का कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या दस्तावेज पेश नहीं किया है।नामान्तकरण सं. 218दिनांक 8.9.1971को पारित किया गया है न कि 1.9.1971को। अपीलांट्स द्वारा अपील 42 साल के पश्चात् प्रस्तुत की गई है,42 साल की अवधि में म्युटेशन सं. 218 दिनांक 8.9.1971 के पश्चात् उका के पुत्र कुईयाराम ,पत्नि ओबू की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 499 दिनांक 13.6.2007द्वारा कुईयाराम पुत्र उका व देवाराम पुत्र डाया दर्ज किया गया। 1/2हिस्से का बैचान कुईयाराम पुत्र उका द्वारा ओमप्रकाश पुत्र सोहनरामजी को करने पर म्युटेशन सं.501 दिनांक 27.9.2007 दर्ज किया गया। दावा सं. 58/2007 स्वीकार करने पर देवाराम की सम्पूर्ण आराजी में कुईयाराम पुत्र उका नामान्तरकरण सं. 628 दिनांक 18.11.2010 को स्वीकृत की,इसी वाद में वादग्रस्त आराजी बाबत् अखबारी छाया दैनिक भास्कर दिनांक 31.10.2007 हर आम व खास में भी प्रकाशित हुआ था तब अपीलांट्स ने उजरदारी नहीं की थी,42 साल में

विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रैकर्ड में कई परिवर्तन हुए है, इन परिवर्तनों की अपीलांट्स को जानकारी नहीं हुई हो, ऐसा संभव नही है। अपीलांट्स ने अपील में जानकारी दिनांक 7.2.2013को होना बताया,नकलो हेतु आवेदन करने पर नकले दिनांक 8.2.13 को प्राप्त करना बताया तथा अपील दिनांक 7.3.2013 को प्रस्तुत करना बताया यानि 29 दिन तक जानकारी होने के बावजूद अपील देरी से पेश की गई है ,दिन प्रतिदिन की कोई वजह नही बताई है। राजस्व वाद में अपीलांट्स द्वारा जानकारी दिनांक 11.6.20174को होना बताया है जबकि अपील में जानकारी दिनांक 7.2.2013 को होना बताया है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (संशोधित) में स्पष्ट हैं कि 9.9.2005 से पूर्व पिता की मृत्यु होने के पश्चात् बेटिया का हक नही बनता है , 2005 केबाद पिता की मृत्यु होने पर बेटियो का कानूनी हक बनता है। अतः अपीलांट्स का धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

8. रेस्पोडेन्ट सं.3—ओमप्रकाश की ओर से दिनांक 31.7.2019 को एक प्रार्थनापत्र बाबत अपीलांट्स की दरख्वास्त दिनांक 30.11.18 के आदेश दिनांक 5.7. 2019 को पुनर्विलोकन कर दुरूस्ती कराने, पेश किया,बाद सुनवाई के उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 6.8.2019 को खारिज किया गया।

9. रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से अपीलांट्स की अपील का जवाब दिनांक 30.11.2018 को पेश किया।

10. रेस्पोडेन्ट सं. 1/2 व 1/2 की ओर से अपीलांट्स की अपील का जवाब दिनांक 31.7.19 को पेश किया।

11. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व नायब तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत म्युटेशन सं. 218दिनांक 1.9.1971 निरस्त करने का निवेदन किया। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 व 1/2 के विद्वान अभिभाषक ने तथा तथा रेस्पोडेन्ट सं.3 के अभिभाषक ने बहस में जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व कि अपीलांट की अपील माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के निर्णय दिनांक 17.5.2018 में बताये गये 3 बिन्दुओं को मध्येनजर रखते हुए अपीलांट्स की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

12. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल

के निगरानी सं.639/2016,ओमप्रकाश बनाम अमीया,वगैराह,निर्णय दिनांक 17.5.2018 में तीन बिन्दुओं पर नये सिरे से निर्णित करने हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, बिन्दु सं.1–धारा 5 अवधि अधिनियम को नये सिरे से निर्णित करने,बिन्दु सं.2–खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद के चलते क्या इन्तकाल जैसे संक्षिप्त कार्यवाही को रोक दी जानी चाहिये अथवा नहीं, बिन्दु सं.3–ओमप्रकाश को रेस्पोडेन्ट सं.3 बनाकर ,जवाब ,साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

बिन्दु सं.1–

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत् दी गई अनुसूचि के अनुसार निर्वसीयत उत्तराधिकार के मामलें में पुत्र तथा पुत्री को समान हक प्राप्त होता है। माननीय राजस्व मण्डल ने आर आर टी 2002(1)श्रीमति शिवोबाई बनाम शिम्भू पेज 257तथा 1989 आर आर डी पेज 45 लामूराम बनाम राज्य में यह अभिनिर्धारित किया हैं कि यदि नामान्तरकरण सभी उत्तराधिकारियों को बिना सुने पारित किया किया गया है तो ऐसा आदेश शून्य हैं तथा ऐसा आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में उत्तराधिकार के नामान्तरकरण संख्या 218 ग्राम मेडा उपरला में डाया की मृत्यु के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा विरासन नामान्तरकरण में डाया के चार पुत्र,पुत्रियां –उका,देवा, अमीया तथा पांची जीवित होते हुए भी नामान्तरकरण केवल दो पुत्र–उका,देवा के नाम दिनांक 14.8.1971 को पटवारी मेडा उपरला द्वारा भरा गया,दिनांक 1.9.1971 को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा Verified किया गया तथा नायब तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकार किया गया, स्वीकृति दिनांक अस्पष्ट है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे साबित हो कि नामान्तरकरण की कार्यवाही के पूर्व सभी उत्तराधिकारियों को नोटिस दिया गया था।

यद्यपि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है किन्तु उक्त प्रकिया में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन कर पुत्रियों को उनके उत्तराधिकार हक से वंचित नहीं किया जा सकता,अतः उक्त नामान्तरकरण सं. 218 सभी पक्षकारान् को नोटिस दिये बिना पारित कर अपीलांट्स को उत्तराधिकार अधिकार से वंचित किया गया है। अतः उक्त नामान्तरकरण एब–इनिश्यो–वॉइड होने ,अपीलांट का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत् देरी कन्डोन करने का प्रार्थनापत्र स्वीकार जाता है।

बिन्दु सं.2–

अपीलांट्स द्वारा अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.3.2013 को प्रस्तुत की तथा उक्त विवादाग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 79 बीघा 9 बिस्वा के के खातेदारी हकों की घोषणा का वाद अपीलांट/वादीया द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1– के वारिसान् तथा रेस्पोडेन्ट सं.3 के विरूद्ध सहायक कलेक्टर जालोर के न्यायालय में दिनांक 30.6.2014 को प्रस्तुत किया ।

चूंकि उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं.3 के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि से विक्रय किया गया हैं तथा उक्त वाद सहायक कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अभी भी विचाराधीन होना बताया गया। उक्त वाद में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 3 भी पक्षकार है, उक्त वाद में वादीगण/अपीलांट्स ने वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है।

पैतृक भूमि में यदि कोई खातेदार अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा हस्तान्तरण करता है तो उक्त प्रकार के दस्तावेज को वॉइड घोषित कर वादग्रस्त भूमि पर विधि अनुसार अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है।

यह सही हैं कि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है तथा इसके द्वारा अधिकारों का निर्धारण नही होता हैं तथा वाद विचाराधीन रहते इस न्यायालय की कार्यवाही को पुनःसुनवाई हेतु रिमाण्ड करने से वाद बहुलता (Multiplicity of legal proceedings) की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः न्यायहित में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 218/1.9.1971(8.9.1971)जो बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पारित किया गया है, तथा उक्त नामान्तरकरण द्वारा पिता की मृत्यु पर धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रथम अनुसूचि के वारिस मृतक की पुत्रियों को उत्तराधिकार से वंचित किया है ,उक्त वॉइड नामान्तरकरण को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जालोर को आदेश दिया जाता हैं कि न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर के न्यायालय में विचाराधीन वाद सं.43/2014 ,पांची,अमीया बनाम तोलकी व अन्य, में निर्णय पारित तक वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड की यथास्थिति बनाऐं रखें तथा उक्त वाद की डिक्री अनुसार वादग्रस्त आराजी का जरिये नामान्तरकरण, रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 26.8.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:51:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: